न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम, बहराइच।

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या 56/2020

अशोक कुमार शर्मा.....बनाम.....सरकार एवं अन्य।

थाना–कोतवाली नगर, बहराइच।

17.04.2026

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं है। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उपस्थित के द्वारा तर्क किया गया है कि पत्रावली में दिनांक 20.12.2023 से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। इस तर्क के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि यह निगरानी वर्ष 2020 में पंजीकृत हुई थी तथा सुनवाई हेतु माननीय जनपद न्यायाधीश, बहराइच के आदेश द्वारा इस न्यायालय में प्राप्त हुई।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित है कि निगरानीकर्ता दिनांक 20.12.2023 से उपस्थित नहीं हो रहा है। उसके पश्चात से 06.02.2024 से दिनांक 16.03.2026 इसके पश्चात आज तक के लिए नियत है। आज भी कोई उपस्थित नहीं है।

दाण्डिक निगरानी विधि के पक्ष पर अंगीकृत हुई है। जिसमें उभय पक्ष को सुने जाने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 444 में उपबंधित किया गया है कि ''इस संहिता मकें अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, जो न्यायालय अपनी पुनरीक्षण की शक्तियों को प्रयोग रहा है उसके समक्ष स्वयं या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अधिकार किसी भी पक्षकार को नहीं हैः किन्तु यह न्यायालय ठीक समझता है तो वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय किसी पक्षकार को स्वयं या उसके अधिवक्ता द्वारा सुन सकेगा।''

ऐसे में यह न्यायालय निगरानीकर्ता को एक अवसर देते हुए कि वह निर्णय से पूर्व कुछ कहना चाहता है तो वह स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से कह सकता है।

पत्रावली निर्णय हेतु दिनांक 28.04.2026 को पेश हो।

(पवन कुमार शर्मा–II)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(एस.सी./एस.टी.एक्ट), बहराइच।